

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
लखनऊ।

संख्या-913/एक-10-2023-33(47)/2018

X DDV not waived

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक 24 अगस्त, 2023

विषय:- राज्य सूखा प्रबन्धन योजना तैयार कराने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-257/सूखा प्रबन्धन/(2023-24), दिनांक 20 जून, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में सूखे की घटनाओं के शमन, निवारण एवं सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सूखा प्रबन्धन योजना रिमोट सेंसिंग से तैयार किये जाने हेतु रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन्स सेंटर, उ०प्र० द्वारा अनुमानित धनराशि रु० 4.50 लाख का निम्नवत व्यय विवरण उपलब्ध कराया गया है:-

क्र० सं०	मदवार विवरण	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
1	मानव शक्ति	2.60
2	स्टेशनरी/रिपोर्ट प्रिन्टिंग	0.50
3	कन्टीजेन्सी एवं अन्य व्यय	0.40
4	औवर हेड क्रम संख्या (01,02,03, का 10 प्रतिशत)	0.35
5	परियोजना लागत	3.85
	जी०एस०टी० 18 प्रतिशत	0.65
	योग	4.50

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में सूखे की घटनाओं के शमन, निवारण एवं सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सूखा प्रबन्धन योजना रिमोट सेंसिंग से तैयार किये जाने हेतु धनराशि रु० 4,50,000/- (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र) राज्य आपदा मोचक निधि से चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबंधों

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011 दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को भेजा गया था) किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्राक्रिया अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे सम्बन्धित के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

- (3) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय राक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (4) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का प्राधिकरण स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in/> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।
- (7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- 3 - इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रुपये 4,50,000/- (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र) का वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000601 सूखा राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,


(राम केवल)
विशेष सचिव

संख्या-913(1)/एक-10-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी वजट आवंटन (ई-वजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से


(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनुसचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-14/09/2023

प्रेषण संख्या:- 913
आवंटन आदेश संख्या:- 001-913
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
01 - सूखा राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	450000 450000	450000 450000
	योग	वर्तमान प्रगामी	450000 450000	450000 450000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार लाख पचास हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार लाख पचास हजार

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन